

तत्कालीन तहसीलदार सहित दस लोगों के विरुद्ध जमीन धांधली का मामला दर्ज

साहवा उपतहसील में एक जमीन मामले को लेकर एक व्यक्ति ने जरिये परिवार मामला दर्ज कराया

तारानगर, (निर्स)। चुरू जिले की साहवा उपतहसील में एक जमीन मामले को लेकर एक व्यक्ति ने जरिये परिवार तत्कालीन तहसीलदारों सहित दस लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। तारानगर के साहवा गांव में मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर गांव की एक जमीन को गुरुनानक टिल्ले के रास्ते के लिये समर्पित कर दी गई। अब इस मामले का ज्ञान होने पर परिवारी बलाविन्दसिंह ने तत्कालीन तहसीलदार महेश कुमार शर्मा व विजेन्द्रसिंह चाहर सहित दस लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। साहवा गांव के ख.नं. 473 तादादी 50-07 बीघा भूमि परिवारी के पिता प्रीतमसिंह के नाम दर्ज थी लेकिन गुरुनानक टिल्ले के प्रबन्धकों ने अपने खेतों की कोमत को बढ़ाने के

लिये अपने खेतों के आगे हाइवे बनाने के लिये मार्च 2006 में फर्जी अंगुठा निशानी से यह दर्शाया कि परिवारी के पिता प्रीतमसिंह ने 02-13 बीघा भूमि का सरकार को समर्पण कर दिया है। इस मामले में गुरुनानक टिल्ले के प्रबन्धक जसविन्दसिंह, गुरभेज सिंह, स्टाम्प वेपडर रामप्रसाद लाटा, लक्ष्मीचन्द लखारा, तत्कालीन सरपंच पन्नालाल गुरडा, तत्कालीन तहसीलदार महेश कुमार शर्मा व विजेन्द्रसिंह चाहर व अन्यो के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है तथा उक्त समर्पण पत्र की एफ.एस.एल. जांच की भी मांग की गई है। तारानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है। सूत्रों से पता चला है कि गुरु नानक टीला तक जाने वाले रास्ते के लिए 18 खसरो की जमीन को एक ही दिन स्टॉप खरीद कर उन पर

■ तत्कालीन तहसीलदार महेश कुमार शर्मा व विजेन्द्रसिंह चाहर व गुरुनानक टिल्ला के प्रबन्धक सहित अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

■ तारानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया

लिखापट्टी कर उक्त खसरो की जमीन को सरकार को समर्पित कर उक्त भूमि को रास्ते के रूप में सिवाय चक दर्ज किया गया है जिसमें से एक परिवारी मुरारिलाल द्वारा भी उक्त सभी लोगों के

विरुद्ध वर्ष 2014 में अपनी जमीन को धांधली से रास्ता के रूप में दर्ज करने की शिकायत की गई थी। जिनकी जमीन को जिला कलेक्टर के आदेश से पुनः उनके नाम दर्ज कर दिया गया है व उक्त लोगों के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर द्वारा धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया था जिसके बाद ये लोग राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं वहीं न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर द्वारा तत्कालीन तहसीलदार विजेन्द्रसिंह चाहर को भी उस प्रकरण में विभिन्न धाराओं में तलब किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रास्ते पर सड़क बनाने के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है।

गैस गीजर हादसे में घायल हुये बालक की मौत

दम्पती की पहले मौत हो चुकी है


भीलवाड़ा, (निर्स)। शाहपुरा थाना क्षेत्र में गीजर गैस हादसे में बुधवार को बाथरूम में नहाने गए दम्पती के साथ अचेत हुए मासूम बालक की भी गुरुवार को जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक बच्चे के शव का शाहपुरा चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया है। गुरुवार को शाहपुरा कस्बे के

एजेंसी मोहल्ले में व्यापार मंडल अध्यक्ष रतनलाल झंवर के सुपौत्र व पुत्रवधु कविता तथा पौत्र विहान बाथरूम में नहाने समय अचेत हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दम्पती को मृत घोषित कर दिया जबकि बच्चे को भीलवाड़ा रैफर कर दिया गया था। घटना के 20 घंटे बाद जिंदगी

मौत से जूझ रहा मासूम जिंदगी की जंग हार गया। चिकित्सकों ने बताया कि आज सुबह 4 बजे विहान के अटैक आने से हालत गंभीर हो गयी जिस पर उसे वेंटीलेटर पर लिया गया पर 11.30 बजे उसने दम तोड़ दिया। मृतक बालक के शव का पुलिस ने एमजी चिकित्सालय से शाहपुरा की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया परिजनों को सुपुर्द किया है।

करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत

राजकीय सम्मान के साथ किया अन्तिम संस्कार



आरंभ के कटसूरा में मृत मोर का सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया।

आरंभ, (निर्स)। समीपवर्ती ग्राम कटसूरा में बस स्टैंड के पास एक मोर करंट लगने से घायल अवस्था में पडा गया जहां पर डॉ. निखिलेश गौलिया के हेड कांस्टेबल गणपतराय व कांस्टेबल गणेश नारायण हरदीप एवं

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर राष्ट्रीय पक्षी मोर को आरंभ स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में लाया गया जहां पर डॉ. निखिलेश गौलिया के द्वारा घायल मोर का परीक्षण कर मृतक घोषित किया गया। पोस्टमार्टम करने के तत्पश्चात पुलिस थाना कार्मियों व वन विभाग कार्मियों हनुमान सिंह बामेश्वर सिंह एवं पशु चिकित्साधिकारी के सदस्यों द्वारा मोर को तिरों में लपेटकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ वनविभाग नाका आरंभ में अन्तिम संस्कार किया गया।

चढ़ावे के 1.10 लाख रुपए हड़पे

चुरू, (कासं)। चुरू में एसपी को जापन देकर शीतला माता मंदिर की फर्जी कमेटी बनाकर चढ़ावा हड़पने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

एसपी को दिए गए जापन में संत रमेशनाथ ने लिखा है कि रामोतार पुत्र नागरमल माली निवासी वार्ड नम्बर 54 चुरू, मंगतुराम पुत्र टिकुराम बागड़ा वार्ड नम्बर 56 चुरू व राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम चोटिया निवासी वार्ड नम्बर 55 चुरू ने फर्जी कमेटी बनाकर मेले में आए चढ़ावे के 1 लाख 10 हजार रुपए हड़प लिए। रमेशनाथ ने लिखा है कि मंदिर की बाड़ी में बालकनाथ महाराज व रामदास महाराज की समाधि लगी हुई है।

फर्जी कमेटी बनाने वालों की नजर उस भूमि पर है। वे लोग कभी भी साधुओं की समाधियों को कभी भी जमीनदोस्त कर सकते हैं। मंदिर का धर्मांध पट्टा संवत् 1930 में बना हुआ है। यहां यह पट्टा कानों में कुण्डलधारी साधुओं के लिए जारी हुआ था। फर्जी कमेटी वालों के पास कोई पट्टा नहीं है। आरोपी जमीन हड़पने की फिराक में हैं।

‘पिता ने ऋण नहीं चुकाया तो बेटी को 20 लाख में बेचा’

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित युवती को दस्तयाब कर केस दर्ज किया

मांडलगढ़, (निर्स)। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में उधार की राशि नहीं चुकाने पर लड़कियों बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जिस्मफरोशी के दलदल से निकालने की गुहार समाज व सरकार से लगाई है। यह मामला सामने आने के बाद भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्ध के निर्देश व मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक कीर्ति सिंह के निर्देशन में मांडलगढ़ थानाधिकारी मनोज जाट ने पीड़ित युवती के लोकेशन की छानबीन शुरू की। पीड़ित युवती को दस्तयाब कर केस दर्ज किया है। यह मामला ऊजागर होने पर देह व्यापार के अड्डों व दलालों में हड़कम्प मच गया है। मांडलगढ़

■ इस मामले में पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया

थानाधिकारी मनोज जाट ने बताया कि पीड़ित युवती का वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने युवती को अलवर जिले से दस्तयाब किया है। पीड़िता के बताए अनुसार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस इस रैकेट का पर्दाफाश जल्द करेगी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण) भीलवाड़ा में कराया व बयान दर्ज कराए हैं। पीड़िता को सखी सेंटर में रखा गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़िता

ने बताया कि वह 10 साल की थी, तब उसे में बेचा गया था। पीड़िता ने सौदागरी के चंगुल से निकल कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। पीड़िता ने वीडियो में बताया कि दलालों और सौदागरी द्वारा उसके माता-पिता से चारी प्रथा के नाम पर 30 से 40 लाख की माँग की जा रही है। 26 साल की पीड़िता ने बताया कि वह 10 साल की थी, तब उसे मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के दो दलालों ने सवाई माधोपुर के सौदागर को विकवा दीया और 11वें साल में मुझे जिस्मफरोशी के धंधे पर लगाया गया। सवाई माधोपुर में मैं 2 साल तक रही। उसके बाद देवली क्षेत्र के एक गांव के सौदागर को बेचा गया। देवली थाना क्षेत्र के किशनलाल ने मुझे 20 लाख में खरीदा था।

ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या

सोप कस्बा रहा बंद, परिजनों ने पांच के खिलाफ कराया मामला दर्ज



युवक की हत्या के मामले में सोप कस्बा बंद रहा।

इसी दरमियान मृतक का चचेरा भाई चिंजीलाल मौके पर पहुंचा और बचाने लगा तो उसके भी ट्रैक्टर से टक्कर मारकर हत्या करने की कोशिश की तथा मारपीट कर गाली गलौज

करते हुए डरा धमकाकर गवाही नहीं देने के लिए धमकाते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। घटना की सूचना मिलने पर सोप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव

को कब्जे में लेकर उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है।

उक्त घटना के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों ने सोप कस्बा बंद रखने का निर्णय लिया और सोप कस्बा बंद रखा। मामले की गंभीरता वालों के लिए उचित मुआवजा दिलाने, आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों के पूरा होने पर ही पोस्टमार्टम के लिए अड गए।

मामले से उनियारा पुलिस उपाधिकारियों को अवगत कराया जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह, उनियारा कार्यवाहक उपखंड अधिकारी दुर्गालाल परसाद मीणा सहित अन्य मौके पर पहुंचे और परिजनों तथा लोगों से समाझाहर कर घंटे के बाद नियमानुसार मुआवजा दिलाने, आरोपियों की जल्दी से गिरफ्तारी, आर्थिक सहायता दिलाने के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

विवाहिता ने फांसी लगाई

मसूदा, (निर्स)। मसूदा थाना अंतर्गत ग्राम कुशलपुरा बीती देर रात्रि को 32 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्राम कुशलपुरा निवासी गोविंद रावत को 32 वर्षीय पत्नी मंजू ने बुधवार की देर रात्रि को अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के ससुर एवं परिजनों की माने तो बुधवार की देर रात्रि को मंजू ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक गई। परिजनों एवं सूत्रों की माने तो मंजू फांसी के फंदे पर लटकने से कुछ समय पूर्व ही विदेश दुबई में रह रहे उसके पति गोविंद से मोबाइल पर बात करने एवं पति से की बात के दौरान मंजू ने फांसी लगाने की बात भी पति को बताई थी। इसी को लेकर गोविंद ने उसके पिता शक्ति सिंह को मोबाइल पर सूचना देकर मंजू की जानकारी लेने के लिए कहा। शक्ति सिंह के द्वारा मंजू के कमरे पर जाकर जानकारी ली तब तक मंजू फांसी के फंदे पर लटक चुकी थी। शक्ति सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा करके पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची मसूदा पुलिस द्वारा मृतका के शव को नीचे उतार कर मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया।

नाबलिंग से दुष्कर्म के आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

पीड़िता के परिवारजनों ने एस.डी.एम. से लगाई गुहार

सुजानगढ़, (निर्स)। नाबलिंग के साथ एक कैफे में दुष्कर्म करने के मामले में छह दिन बाद भी कोतवाली थाना पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़िता के परिवारजनों ने शहर के मौजिज लोगों के साथ उपखण्ड अधिकारी मूलचंद लुणिया को जापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जापन में पीड़िता के चाचा ने बताया कि 9 मार्च को उसकी भतीजी उसके घर आई थी। पंडोस में रहने वाला कमलेश गुर्जर उस पर बुरी नजर रखता था। जिसने उसे 9 मार्च को फोन कर धमकाकर अपने एक अन्य दोस्त के साथ उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर अपने साथ ले

गया। जिसके बाद मैंने अपनी भतीजी को काफी देर तक देखा लेकिन वह घर पर नहीं मिली। जिसके बाद शाम को साढ़े पांच बजे के बाद उसकी भतीजी डरी सहमी घर आई। जिसने अपने परिजनों को बताया कि उसे कमलेश गुर्जर व एक अन्य लडका उसे जबन धमकाकर ले गये। जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती एक दुकान में गलत काम किया। वहीं नाबलिंग के परिवारजनों ने घटना को लेकर जापन दिया। जापन में अन्य दोनों आरोपियों का नाम उल्लेखित करते हुए मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाये हैं। पीड़िता ने भी प्रकरण में न्याय की गुहार लगायी है।

छात्र ने लगाई फांसी, सदमे से मकान मालिक की भी मौत

छात्र द्वारा की गई आत्महत्या के पीछे प्रथम दृष्टया बोर्ड परीक्षा का दबाव कारण माना जा रहा है

■ आत्महत्या से पहले परिजनों के नाम लिखे सुसाइड नोट में दसवीं के छात्र ने माफ़ी मांगी

रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने गुरुवार को जिला अस्पताल में दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि मृतक छात्र शारदे विद्या पीठ स्कूल धौलपुर का दसवीं कक्षा का छात्र था। जो बुधवार सुबह अपना गांव से किराए के कमरे पर वापस लौट कर आया था। जहां बुधवार रात को उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर

आत्महत्या कर ली। जिसके शव को देख मकान मालिक की भी सदमे में मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या के बाद छात्र द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें आत्महत्या के लिए घरवालों से माफ़ी मांगी गई है। सुसाइड नोट में आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। छात्र ने कमरे में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना को लेकर पुलिस ने मर्ग दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मकान मालिक का परिवार गया था गांव:- मृतक मकान मालिक बहादुर के परिजनों ने बताया कि बुधवार को घर के सभी लोग अपने गांव में खेत पर फसल काटने के लिए गए थे। गुरुवार शाम को घर के लोग जब वापस लौटे तो उन्हें छात्र कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला।

वृद्धा से कंपाउंडर ने किया दुष्कर्म

कामां, (निर्स)। कामां कस्बा के एक निजी अस्पताल में उपचार कराने आई 65 वर्षीय 12 बच्चों की मां के साथ रात्रि में अस्पताल में तैनात कम्पाउंडर के द्वारा छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद कामां थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है।

कामां थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि कामां थाने पर बुधवार को सूचना मिली कि कस्बे में संचालित निजी हॉस्पिटल में 65 वर्षीय वृद्ध महिला उपचार कराने के लिए गई थी। चिकित्सकों ने वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया और 13 मार्च की रात्रि में अस्पताल में तैनात कंपाउंडर निरंजन ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर अस्पताल के ही कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को महिला के परिवारजनों में अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया साथ ही आरोपी कंपाउंडर के विरुद्ध कार्यवाई कराए जाने की मांग की गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल में पहुंच गई पीड़ित महिला का पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित वृद्ध महिला का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है।

धनेश्वर पटवारी, ग्राम प्रतिहारी को 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंग हाथों पकड़ा

फोटो इंतकाल नामांतरण खोलने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी



ए.सी.बी. की गिरफ्त में आरोपी पटवारी व ग्राम प्रतिहारी।

मृत्यु के उपरांत परिवारी व उसके भाई के कब्जे काश्त की जमीन उसके पिता के स्थान पर परिवारी के नाम दर्ज करने की एवज में आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी व रामकुमार गुर्जर पटवारी ने आपसी मिलीभगत करके

परिवारी से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं। परिवारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर मांग के गोपनीय सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान 14 मार्च को आरोपी रामकुमार

पटवारी ने परिवारी से 10 हजार रूपये प्राप्त कर लिये सत्यापन के बाद आज गुरुवार ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी को परिवारी से 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये कार्यालय उप तहसील डाबी में रंग हाथों पकड़ा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पेट्टे की जेब से बरामद की गई। आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी को डिटेन किया गया है। मौके पर कार्यवाही जारी है। एसीबी की यह कार्यवाही बूंदी एसीबी इकाई के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञान चंद्र मीना के निर्देशन में अंजाम दी गई है। ट्रेप की यह कार्यवाही एसीबी के पुलिस निरीक्षक हरीश भारती के द्वारा अंजाम दी गई है। टीम कार्यवाही में शिवनारायण, सोनी, जितेंद्र सिंह, मनोज, राजकुमार, रामसिंह, प्रेमप्रकाश कटारा, स्वतंत्र गवाह मौजूद थे।